[2019] 6 एस. सी. आर 803

चेरियाथ ज्योति

वी.

सैनूदीन और ए. एन. आर.

(2016 की सिविल अपील संख्या 1424)

अप्रैल 24,2019

[ए. एम. खानविलकर और अजय रस्तोगी, जे. जे.]

केरल पंचायत भवन नियम, 2011:

अनधिकृत संरचना-अपीलार्थी द्वारा मांगी गई संरचना को ध्वस्त करना और उसमें खतरनाक गतिविधियों का आरोप लगाना-लोक अदालत ने विध्वंस का आदेश दिया-अपीलार्थी ने लोक अदालत के फैसले को लागू करने के लिए निष्पादन याचिका दायर की-निष्पादन अदालत ने संरचना को ध्वस्त करने का निर्देश दिया-प्रतिवादी ने आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि लोक अदालत के फैसले के अनुपालन में अवैध संरचना को ध्वस्त कर दिया गया था और उसके बाद सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद नए ढांचे का निर्माण किया गया था-यह तथ्य था

ग्राम पंचायत के साथ-साथ अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट द्वारा सत्यापित-उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के मामले को खारिज कर दिया

यह अभिनिर्धारित करना कि पुरस्कार स्थायी निषेध की प्रकृति में नहीं था

किसी भी नए निर्माण के लिए-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः निष्पादन न्यायालय का यह निष्कर्ष कि पुरस्कार देने के समय जो संरचना मौजूद थी, उसे अभी तक ध्वस्त नहीं किया गया था, दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर था

संरचना को हटाना जैसा कि यह प्रासंगिक समय पर मौजूद था-वैध गतिविधियों को रोकने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

लोक अदालत द्वारा दिए गए आश्वासन को दर्ज करते हुए पारित किया गया प्रत्यर्थी संख्या 1 कि वह मौजूदा संरचना को ध्वस्त कर देगा

तीन महीने की अवधि के भीतर। यह तथ्य कि संरचना, जैसा कि पुरस्कार देने की तारीख को मौजूद थी, प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा हटा दी गई थी, पंचायत द्वारा अपने हलफनामे में लिए गए रुख से प्रबलित है। इसके अलावा, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने स्वीकार किया कि उस संबंध में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेने के बाद उसी भूखंड पर एक नई इमारत का निर्माण किया, जो यह अनुमान लगाता है कि संरचना जैसा कि उसमें मौजूद थी अगस्त, 2013 को हटा दिया गया था, जिसके बिना नई इमारत नहीं बनाई जा सकती थी। तथ्य यह है कि अनुमति दी गई थी

नए भवन के निर्माण के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 का समर्थन न केवल 9 अक्टूबर, 2013 (अनुलग्नक-पी8) के परमिट द्वारा किया गया है, बल्कि ग्राम पंचायत की ओर से दायर हलफनामे से भी किया गया है। दिनांक 9 जनवरी, 2015 और 18 फरवरी, 2015 की अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट में बताई गई तथ्यात्मक स्थिति सहित। [पैरा 9] [812-बी-एफ]

अपीलार्थी कि पुरस्कार का प्रभाव प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कब्जा किए गए कथित भूखंड पर किसी भी संरचना/भवन को लगाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए था, चाहे उस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई अनुमति कुछ भी हो। उच्च न्यायालय का यह कहना सही था कि क्या प्रत्यर्थी संख्या 1 ने परमिट के अनुसार संरचना का निर्माण किया था, यह एक ऐसा मामला था जिस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाना था जिसने ऐसा परमिट जारी किया था और अपीलकर्ता के लिए उचित राहत के लिए उस प्राधिकरण से संपर्क करने का अधिकार होगा, यदि ऐसा सलाह दी जाती है। इसी तरह, जहां तक वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या किसी अन्य अधिकार के उल्लंघन के रूप में प्रतिवादी की गतिविधियों के कारण अपीलार्थी को होने वाली परेशानी की संभावना है, अपीलार्थी को उस संबंध में उचित उपाय का सहारा लेना चाहिए। [पैरा 10] [812-जी-एच; 813-ए-सी] 3. पुरस्कार का दायरा संरचना को हटाने तक सीमित था क्योंकि यह प्रासंगिक समय पर मौजूद था। कोई निर्देश नहीं दिया गया है-चेरियाथ ज्योति बनाम।

सैनूदीन और ए. एन. आर.

कथित से व्यावसायिक गतिविधियों सहित अपनी वैध गतिविधियों को जारी करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 को जारी किया गया

उसके द्वारा कब्जा किया गया भूखंड। यदि प्रत्यर्थी की गतिविधियाँ किसी कानून या विनियमन का उल्लंघन करती हैं, तो अपीलार्थी के लिए संबंधित वैधानिक प्राधिकरण या उपयुक्त से संपर्क करने का अधिकार होगा।

फोरम करें और कानून के अनुसार उस संबंध में राहत प्राप्त करें। इस प्रकार, उच्च न्यायालय के विवादित फैसले में कोई कमजोरी नहीं है।

[पैरा 11] [813-डी-ई]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 1424

2016 से।

उच्च न्यायालय के 04.03.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2014 के ओपी (सी) संख्या 1819 में एर्नाकुलम में केरल का न्यायालय।

चेरियाथ ज्योति, व्यक्तिगत रूप से अपीलार्थी।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे.

1. यह अपील पारित निर्णय और आदेश को अपवाद मानती है।

केरल उच्च न्यायालय द्वारा एर्नाकुलम में दिनांक 4 मार्च, 2015 को ओ. पी. (ग) 2014 (ओ) की सं. 1819।

2. संक्षेप में कहा गया है कि अपीलार्थी ने

सचिव, कराकुलम ग्राम पंचायत ने 6 मई, 2013 को शिकायत की कि पड़ोसी भूखंड में रहने वाले ने एक अनधिकृत इमारत खड़ी की थी और वाणिज्यिक आधार पर रबर शीट बनाने के लिए एक संयंत्र के रूप में इसका उपयोग कर रहा था। अपीलार्थी का दावा है कि वह वट्टप्परा गाँव के सर्वेक्षण No.43/2-1-3 में कराकुलम ग्राम पंचायत के हाउस केपी नंबर वी/168 पर कब्जा कर रहा है। प्रतिनिधित्व इस प्रकार हैः

" चेरियाथ ज्योति बी. एससी., M.B.B.S,

' द क्लॉस्टर ', एन. आर. रॉक पार्क,

वेंकोडे पी. ओ., वस्तप्पारा,

तिरुवनंतपुरम-695028।

मई, 2013।

No.jyo/cT/01

को।

अवैध खतरनाक निर्माणः अनुरोध करें

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

साहब,

पंचायत के. पी. सं. वी./168 के साथ-साथ 3.37 भूखंड सर्वेक्षण में हैं। नहीं। 43 / 2-1-3 वट्टप्परा गाँव, जिस पर यह स्थित है, पूरी तरह से स्वामित्व में है।

मेरे द्वारा।

II. यह आपके ध्यान में लाने के लिए है कि मैं क्या हूँ

मान लीजिए कि एक अनधिकृत इमारत का उपयोग बनाने के लिए एक संयंत्र के रूप में किया जा रहा है मेरे बगल के भूखंड में वाणिज्यिक आधार पर रबर की चादरें

निवास (परिशिष्ट ए के रूप में संलग्न स्केच)। III. उपरोक्त इमारत प्रावधानों का पूरी तरह से उल्लंघन है।

और केरल पंचायत भवन नियम 2011 की शर्तें और

आसपास रहने वालों के लिए एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा है (जैसा कि विस्तार से बताया गया है)

परिशिष्ट बी में)। IV. मुझे लगता है कि जनता के हित में उपरोक्त संरचना

ध्वस्त किया जाना चाहिए।

वी. श्री जैन-उद-दीन को इस मामले पर मेरी शिकायतें

संयंत्र का मालिक बहरे कानों पर गिर गया है।

VI. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध है कि कृपया

मामले को देखें और जल्द से जल्द आवश्यक कार्य करें।

आपकी

वफादारी से

एस.

डी.

(C.Jyoth

i)

घेरावः 1. परिशि-ट ए पैरा II और

2. परिशिष्ट बी पैरा III के माध्यम से। ”

3. उस प्रतिनिधित्व को आयोजित लोक अदालत के समक्ष रखा गया था

तिरुवनंतपुरम जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, के तहत

कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 19 पर। लोक अदालत

घ 23 अगस्त, 2013 को निम्नलिखित पुरस्कारः

" पता लगाएँ

तिरुवनंतपुरम जिला कानूनी सेवाओं द्वारा आयोजित

कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 19 के तहत प्राधिकरण

(1987 का अधिनियम 39)

अगस्त, 2013 का यह 23 वां दिन, चेरियाथ ज्योति बनाम।

सैनूदीन और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

न्यायिक अधिकारी का नाम

: वी. थुलसीधरन

: एन. गोपकुमार

सदस्य का नाम

: वी. माया

सदस्य का नाम

लोक अदालती मामला सं। 2013 का पीएल No.2746।

न्यायालय/न्यायाधिकरण से

नहीं।

याचिकाकर्ता

दावेदार

डॉ. चेरियाथ ज्योति

बनाम।

सैनुद्दीन,

रॉक पार्क, वेंगोडे

रॉक पार्क, वेंगोडे

प्रतिवादी/प्रतिवादी

धारा 20 (1) (i) a/20 (1) (i) (b)/20 (1) (ii) के तहत संदर्भित

कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम (1987 का अधिनियम 39)।

यह कारण लोक अदालत द्वारा आयोजित किया गया था

तिरुवनंतपुरम जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण

कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम (1987 का अधिनियम 39) की धारा 19, पक्षकारों के बीच विवाद के निपटारे के प्रयासों के लिए हमारे सामने आ रही है, इस कारण का विषय होने के नाते, पक्षों और उनके वकील की उपस्थिति में, और एक पूर्ण और पूर्ण प्रयास के बाद।

से उत्पन्न होने वाले सभी तथ्यात्मक और कानूनी मुद्दों की स्पष्ट चर्चा कारण, पक्ष हमारे सामने सहमत हुए हैं कि एक होगा

यहां किए गए समझौते के संदर्भ में निर्णय/आदेश/डिक्री और इसमें पक्षकारों और उनके वकील ने हमारी उपस्थिति में उसी की स्वीकृति में इस पर हस्ताक्षर किए हैं, यह आदेश/आदेश दिया जाता हैः

दोनों पक्ष उपस्थित हैं। उत्तरदाता ध्वस्त करने के लिए तैयार है

3 महीने की अवधि के भीतर रबर शीटिंग मशीनरी रखने वाली मौजूदा इमारत। ऐसा न करने पर याचिकाकर्ता पुरस्कार निष्पादित करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी से संपर्क कर सकता है।

(एसडी.)

(एसडी.)

(एस डी.)

सदस्य

न्यायिक अधिकारी

(एस

डी.)

प्रतिवादी/प्रतिवादी

वादी/याचिकाकर्ता

दावेदार/अपीलार्थी

के लिए वकील

वादी/याचिकाकर्ता

दावेदार/अपीलार्थी

के लिए वकील

प्रतिवादी/प्रतिवादी "

(जोर दिया

गया)

4. विशेष रूप से, मूल ऑर्डर शीट से यह देखा गया है कि, शुरू में,

प्रत्यर्थी की संपत्ति का विवरण "अस्थायी शेड" के रूप में दिया गया था, जिसे तोड़ दिया गया था और इसके बजाय, "मौजूदा इमारत" के रूप में वर्णित किया गया था। इसके बाद अपीलार्थी ने लोक अदालत द्वारा पारित पुरस्कार को निष्पादित करने के लिए पी. एल. No.2726/2013 में ई. पी. संख्या <आई. डी. 2 के माध्यम से प्राचार्य मुन्सिफ, नेदुमंगड़ के न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। निष्पादन न्यायालय ने अपीलार्थी की शिकायत को स्वीकार कर लिया और पड़ोसी भूखंड में संरचना को हटाने के लिए निर्देश जारी किए

उत्तरदाता को। प्रधानाचार्या मुन्सिफ के न्यायालय द्वारा पारित कार्यकारी आदेश इस प्रकार हैः

" 6. इस प्रकार जिन परिस्थितियों में याचिकाकर्ता ने यह याचिका दायर की

पुरस्कार पारित होने से पता चलता है कि पार्टियों का क्या इरादा था इसे हमेशा के लिए ध्वस्त करने के अलावा और कुछ नहीं है। माना जाता है कि संरचना थी

न्यायालय की प्रक्रिया के माध्यम से निष्पादित किया गया। डिक्री धारक को लेना होता है पुरस्कार निष्पादित करने और पुरुषों की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कदम और

पुरस्कार निष्पादित करने के लिए यंत्र।

अमीन को 22/07/2014 पर पुरस्कार निष्पादित करने और रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है

23/07/2014 पर न्यायालय के समक्ष।

5. प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त आदेश पर हमला किया,

अन्य बातों के साथ यह तर्क देते हुए कि लोक अदालत द्वारा पुरस्कार पारित किए जाने के बाद, उन्होंने "अस्थायी शेड" को ध्वस्त कर दिया था, एक स्थिति जिसे पंचायत अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया गया था। उन्होंने चेरियाथ ज्योति बनाम में तस्वीरों पर निर्भरता रखी है।

सैनूदीन और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

उक्त अनुमोदित योजना के साथ, प्रतिवादी ने एक नई संरचना का निर्माण किया जो परमिट के अनुसार निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप था। इस संबंध में उनके पक्ष में जारी किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा लिए गए रुख को सचिव, काराकुलम ग्राम पंचायत, नेदुमंगद, तिरुवल्ला द्वारा दायर हलफनामे से समर्थन मिला। उक्त का प्रासंगिक भाग

पंचायत की ओर से 9 जनवरी, 2015 को दायर हलफनामे में कहा गया हैः

" 3. यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त Ext.P3 आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता ने मौजूदा इमारत को ध्वस्त कर दिया और भवन परमिट के लिए आवेदन किया

9. 49 वर्ग कि. मी. का निर्माण। भवन का मीटर। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत योजना को मंजूरी दी गई और Ext.P7 परमिट जारी किया गया। Ext.P7 के अनुसार एक याचिकाकर्ता ने अनुमोदित योजना और परमिट के अनुसार इमारत का निर्माण किया। निर्माण याचिकाकर्ता द्वारा अनुमोदित योजना और दूसरे प्रतिवादी द्वारा जारी परमिट के अनुसार किया गया था। दूसरे उत्तरदाता ने नोट नहीं किया है

निर्माण में केरल पंचायत भवन नियम, 2011 के प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन, और इसलिए उपरोक्त भवन को के. पी. 11/982-ए के रूप में गिना गया था। एक्सट में। पी7 परमिट एक गलती थी कि वाणिज्यिक उद्देश्य बताने के बजाय इसे गलती से दिया गया था

आवासीय उद्देश्य के रूप में बताया गया। जब इसे इस प्रतिवादी के ध्यान में लाया गया, तो इसे आदेश द्वारा वाणिज्यिक उद्देश्य के रूप में ठीक किया गया।

दिनांकित 1.12.2014।

4. यह प्रस्तुत किया जाता है कि पी. एल. No.2746/में लोक अदालत के पुरस्कार को निष्पादित करने के लिए प्रथम उत्तरदाता द्वारा E.P.No.10/2014 दायर किया गया था। 2013. यह प्रत्यर्थी उपरोक्त ई. पी. में पक्षकार नहीं है और इसलिए यह प्रत्यर्थी विस्तार के बारे में नहीं जानता है। पी10 आदेश। इसके बाद से

प्रत्यर्थी उपरोक्त ई. पी. कार्यवाही का पक्षकार नहीं है, यह प्रत्यर्थी सही तथ्यों को मुन्सिफ कोर्ट, नेदुमंगौड के ध्यान में नहीं ला सका।
5. उपरोक्त परिस्थितियों में यह माननीय न्यायालय हो सकता है

इस कथन और तदनुसार आदेश को स्वीकार करते हुए खुशी हुई। "[2019] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. चूंकि अपीलार्थी ने प्रतिनिधि द्वारा बताई गई तथ्यात्मक स्थिति के साथ-साथ हयात की ओर से दायर हलफनामे में उल्लिखित स्थिति का विरोध किया, इसलिए उच्च न्यायालय ने एक अधिवक्ता मिशनरी नियुक्त करना उचित समझा। अधिवक्ता आयुक्त ने स्थल का दौरा किया और प्रस्तुत किया

18 फरवरी, 2015 को बंदरगाह, जो इस प्रकार हैः

" सम्मानीय उच्च न्यायालय से पहले

केरल

ए. आर. एन. ए. के. यू. एल. ए. एम. में

2014 का ओ. पी. (सी) 1819

अधिवक्ता एम. एम. बशीर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और स्थूल रेखाचित्र

ई. पी. में माननीय परिवार न्यायालय नेदुमंगडु के आदेश के अनुसार

सं. 10/2014 दिनांकित 11.2.2015।

माननीय परिवार न्यायालय नेदुमंगडु के आदेश के अनुसार मुझे एक रेखाचित्र तैयार करने और विचाराधीन इमारत और वहां की गतिविधियों के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। मैंने लगभग 3 बजे माननीय न्यायालय के आदेश को लागू करने के लिए 13.02.2015 पर विवादित संपत्ति का दौरा किया हैः 30 दोनों पक्षों की उपस्थिति और सही मायने में इस रिपोर्ट को दाखिल करने के साथ प्रधानमंत्री। विवादित संपत्ति वट्टप्परा गाँव में स्थित है। नेदुमंगड़ दरबार केंद्र से 5 किलोमीटर दूर है।

मैंने विवादित संपत्ति के संबंध में एक मोटी योजना तैयार की है।

पंचायत। यदि प्रत्यर्थी विवादित इमारत के पश्चिमी हिस्से में स्थित है तो संपत्ति। इन दोनों संपत्तियों को अलग करते हुए एक यौगिक दीवार है जिसका निर्माण ग्रेनाइट और सीमेंट की खोखली ईंटों से किया गया है जिनकी ऊंचाई 1.7 मीटर है। विवादित इमारत ग्रेनाइट और सीमेंट की खोखली ईंटों द्वारा निर्मित एक शेड है जिसकी ओरेलियम शीट की छत है जिसका उपयोग रबर के लिए किया जाता है।

शीट बनाना। शेड में दो रबर शीट बनाने की मशीनें लगाई गई हैं और एक खुली अपशिष्ट जल नहर बनाई गई है जो जैव गैस टैंक में जा रही है। उक्त टंकी की आयु 25 वर्ष से अधिक है। बायो गैस टैंक और विवादित शेड के बीच का अंतर 3.7 मीटर है। यह शेड याचिकाकर्ता की संपत्ति में स्थित है, जिसका चेरियाथ ज्योति बनाम पर 1.25 मीटर का अंतर है।

सैनूदीन और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

उत्तर-पश्चिम की ओर और दक्षिण-पश्चिम की ओर 2 मीटर

प्रत्यर्थी की संपत्ति से। वहाँ यौगिक दीवार है

याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी की संपत्तियों को अलग करना।

प्रतिवादी की अस्थायी आवासीय संरचना स्थित है। 2.35 उपरोक्त परिसर की दीवार से मीटर दूर। मेरे समय में

यह बहुत अच्छी तरह से नोट किया गया है कि उत्तरदाता को कोई नुकसान नहीं है

विवादित शेड के काम न करने के कारण। ऐसा माना जा रहा है कि

वर्तमान में प्रतिवादी को कोई नुकसान या हानि नहीं होगी।

स्टेज। याचिकाकर्ता की संपत्ति उपज देने वाले रबड़ से भरी हुई है। जो पिछले डेढ़ साल से पैदावार नहीं ले रहा है। की संख्या

पेड़ लगभग 50 हैं।

यह रिपोर्ट माननीय परिवार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

ऑर्डर और रफ प्लान के साथ नेदुमंगद।

यह तारीख फरवरी 2015 का 18 वां दिन है।

एस.

डी.

एम. एम.

बशीर

अधिवक्ता आयुक्त "

7. वास्तव में, अपीलार्थी ने उक्त की शुद्धता का विरोध किया

रिपोर्ट करें। हालांकि, उच्च न्यायालय ने प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखते हुए और अधिवक्ता आयुक्त द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को शामिल करते हुए निष्कर्ष निकाला कि लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय का उद्देश्य प्रतिवादी को उस संबंध में सक्षम प्राधिकारी से उचित अनुमति लेने के बाद एक नई संरचना का निर्माण करने से नहीं रोकता है। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि यह निर्णय प्रतिवादी द्वारा कब्जा किए गए भूखंड पर कोई भी निर्माण करने के लिए स्थायी निषेध की प्रकृति का था। ऐसा अभिनिर्धारित करने के बाद, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की इस आशंका पर ध्यान देते हुए कि प्रतिवादी रबर शीट बनाने वाली मशीनरी का संचालन शुरू कर सकता है, जो अनिवार्य रूप से वायु और जल प्रदूषण का कारण बनेगी, अपीलार्थी को उस उपाय का सहारा लेने की स्वतंत्रता प्रदान की जो कानून में अनुमेय हो। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसी कार्यवाहियों का निर्णय अपने गुण-दोष के आधार पर और कानून के अनुसार किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार लिया गया दृष्टिकोण इस अपील में चुनौती का विषय है।

8. अपीलार्थी ने व्यक्तिगत रूप से इस मामले पर बहस की है। हालांकि

उत्तरदाताओं को सेवा प्रदान की गई है और प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिनिधित्व वकील के माध्यम से किया जाता है, जब मामले को सुनवाई के लिए बुलाया गया तो कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

19] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9. हमने अभिलेख पर रखी गई प्रासंगिक सामग्री पर विचार किया है और उसी पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर, हम उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज अंतिम निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं।

रिट याचिका को अनुमति देना और निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करना। जैसा कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम पंचायत को प्रस्तुत अभ्यावेदन से देखा गया है, मुख्य शिकायत प्रत्यर्थी द्वारा कब्जा किए गए भूखंड पर बनाए गए अनधिकृत ढांचे के संबंध में थी और जिसका उपयोग वाणिज्यिक आधार पर रबर शीट बनाने के लिए एक संयंत्र के रूप में किया जा रहा था। शिकायत अनिवार्य रूप से यह थी कि संरचना केरल पंचायत भवन नियम, 2011 के प्रावधानों और शर्तों का पूरी तरह से उल्लंघन कर रही थी और आसपास रहने वालों के लिए गंभीर स्वास्थ्य खतरों में भी योगदान दिया। हालाँकि, पंचायत अनिवार्य रूप से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विषय भूखंड पर बनाए गए अनधिकृत ढांचे से संबंधित थी। लोक अदालत द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दिए गए आश्वासन को दर्ज करते हुए पारित निर्णय द्वारा उस शिकायत का निवारण किया गया कि वह तीन महीने की अवधि के भीतर मौजूदा संरचना को ध्वस्त कर देगा। तथ्य यह है कि संरचना, जैसा कि पुरस्कार देने की तारीख को मौजूद थी, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा हटा दी गई थी

पंचायत द्वारा अपने शपथ पत्र में लिए गए रुख से प्रबलित। इसके अलावा, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने स्वीकार किया कि उस संबंध में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेने के बाद उसी भूखंड पर एक नई इमारत का निर्माण किया, जिसमें यह अनुमान लगाया गया है कि अगस्त, 2013 में मौजूद संरचना को हटा दिया गया था, जिसके बिना नई इमारत का निर्माण नहीं किया जा सकता था। तथ्य यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को अनुमति दी गई थी

नए भवन के निर्माण के लिए न केवल 9 अक्टूबर, 2013 (अनुलग्नक-पी8) की अनुमति का समर्थन किया गया है, बल्कि 9 जनवरी, 2015 को ग्राम पंचायत की ओर से दायर हलफनामे और 18 फरवरी, 2015 की अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट में बताई गई तथ्यात्मक स्थिति का भी समर्थन किया गया है।

10. मुख्य प्रश्न 23 अगस्त, 2013 को लोक अदालत द्वारा पारित पुरस्कार की चौड़ाई है। हमारी राय में, यह स्पष्ट रूप से कथित भूखंड पर मौजूदा संरचना को हटाने तक सीमित है। प्रतिवादी नं. 1 तीन महीने के भीतर। जैसा कि ऊपर कहा गया है, उस संरचना को हटा दिया गया, जो तथ्य अब तक चर्चा की गई परिस्थितियों से मजबूत होता है। हालाँकि, निष्पादन न्यायालय ने गलत राय दी कि संरचना, जैसा कि पुरस्कार देने के समय मौजूद थी, अभी भी ध्वस्त नहीं की गई थी। यह निष्कर्ष दस्तावेजी साक्ष्य और प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ-साथ ग्राम पंचायत द्वारा हलफनामे पर किए गए दावों और चेरियाथ ज्योति v में उल्लिखित तथ्यात्मक स्थिति सहित है।

सैनूदीन और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के इस तर्क को सही ढंग से खारिज कर दिया कि पुरस्कार का प्रभाव था प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कब्जा किए गए कथित भूखंड पर किसी भी संरचना/भवन को लगाने से पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है, चाहे उस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई हो। उच्च न्यायालय का यह कहना सही था कि क्या प्रत्यर्थी संख्या 1 ने परमिट के अनुसार संरचना का निर्माण किया था, यह एक ऐसा मामला था जिस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाना था जिसने ऐसा परमिट जारी किया था और यह सक्षम प्राधिकारी के लिए खुला होगा।

यदि ऐसी सलाह दी जाती है तो उपयुक्त राहत के लिए उस प्राधिकरण से संपर्क करने के लिए अपीलार्थी।

इसी तरह, जहां तक वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या किसी अन्य अधिकार के उल्लंघन के रूप में प्रतिवादी की गतिविधियों के कारण अपीलार्थी को होने वाली परेशानी की संभावना है, अपीलार्थी को उस संबंध में उचित उपाय का सहारा लेना चाहिए। इसके अलावा, उन कार्यवाहियों को अपने गुण-दोष के आधार पर तय करना होगा। उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार लिया गया दृष्टिकोण, हमारी राय में, असाधारण है।

11. हमारा मानना है कि पुरस्कार का दायरा संरचना को हटाने तक सीमित था क्योंकि यह प्रासंगिक समय पर मौजूद था। कोई दिशा नहीं है

प्रत्यर्थी संख्या 1 को उसके द्वारा कब्जा किए गए कथित भूखंड से व्यावसायिक गतिविधियों सहित अपनी वैध गतिविधियों को जारी करने के लिए जारी किया गया। यदि प्रत्यर्थी की गतिविधियाँ किसी कानून या विनियमन का उल्लंघन करती हैं, तो अपीलार्थी के लिए यह खुला रहेगा कि वह संबंधित वैधानिक प्राधिकरण या उपयुक्त मंच से संपर्क करे और उस संबंध में राहत मांगेः कानून के अनुसार। इस प्रकार, हम उच्च न्यायालय के विवादित फैसले में कोई कमजोरी नहीं पाते हैं।

12. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस अपील को खारिज कर दिया जाता है, लेकिन अब तक की गई टिप्पणियों के साथ। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

सभी आवेदनों का निपटारा भी कर दिया जाता है।

याचिका खारिज कर दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी